बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC- 1324

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 18/12/2018

विषय – सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गाँधी चौक से नगरपालिका चौक के लिये प्रस्तावित फ्लाई ओवर निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.41 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गाँधी चौक से नगरपालिका चौक के लिये प्रस्तावित फ्लाई ओवर निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.41 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड, सारण प्रमंडल, छपरा का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1991 एवं अधिसूचना संख्या 485 (ई०) दिनांक 15.04.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित फ्लाई ओवर निर्माण में 2.41 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं 240 वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन संरक्षक, सीवान द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं0	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0.00-60 CM तक	60 CM से अधिक
1	37	203

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा 2.41 हे० वन भूमि का वनाधिकार अधिनियम, 2006 अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिसकी मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 4.82 हे० अर्थात् 5.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, कैमूर के अधौरा प्रक्षेत्र अन्तर्गत अधौरा (वनवासी सेवा केन्द्र के बगल में) PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 2.41 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,08,660/– (रूपये पन्द्रह लाख आठ हजार छः सौ साठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.41 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये कैमूर वन प्रमंडलन्तर्गत 5.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि अधौरा (वनवासी सेवा केन्द्र के बगल में) सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 22,44,774/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1028/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर यथासम्भव 0.00–60 से0मी0 तक के पौधों को Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

18/12/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।